GCMS NO. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
21/07/25	पत्रावली पेश हुई। अभय पक्ष उपस्थित P.O. सा. का स्थानान्तरण हो गया है। अन्य कार्य में व्यस्त / ~~बाहर पधारे। अभियान में पधारे।~~ ~~अवकाश में~~ है। अत: पत्रावली वास्ते ..... कार्यवाही के आईन्दा दिनांक ..12../..08../2025. को पेश हो। S.D.	
12/08/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकार प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकलों से ज्ञात कार्यवाही धारा 250 कार्यवाही धारा 250 राजस्व अपील अधिनियम की कला संख्या 3076-79 खाता नं. 702 में खातेदार काश्तकार के रूप में श्री गोपाल जी महाराज स्थानीय कुल काश्त हिस्सा पूर्ण खातेदार का नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अरिंजय कुमार पुत्र गोपाल द्वारा दि. कार्यवाही धारा 250 के परिपालन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। किन्तु प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं है। पुजारी को केवल देखरेख, पूजा और अन्य प्रबंधकीय कार्य के अधिकार होते हैं। पुजारी का खातेदारी के रूप में दर्ज नहीं है। मंदिर की जमीन पर अधिकार केवल उस मंदिर में विराजमान देवी देवता का ही होता है। पुजारी न तो खातेदार है न ही कृषि पुजारी के नाम पर खातेदारी के रूप में दर्ज है। अतः मंदिर की जमीन की परम्परागत के लिए पुजारी स्वयं आवेदन नहीं कर सकता है। क्योंकि कानून मंदिर की जमीन का मालिक भगवान मानता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित प्रतीत होता है।	विपक्षी 6 को विपक्षी 6 को

आदेश

वाद ग्राम कार्यवाही धारा 250 कार्यवाही धारा 250 राजस्व अपील कला के खाता नं. 702 में स्थित कृषि खातेदार श्री गोपाल जी महाराज स्थानीय के नाम दर्ज होने से प्रार्थी श्री कुमार पुत्र गोपाल द्वारा खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार बोझ बाद राजस्व खाते का कम बोझ रखित रफा हो।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)